

समाहरणालय, मधेपुरा
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक. ११५-२ / सा०सु०को०.

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

मधेपुरा, दिनांक ०६-०७-१३,

विषय:-

चालू वित्तीय वर्ष-२०१३-१४ में राज्य योजनान्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
(विशेष घटक) में पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु द्वितीय किस्त कुल रु०-
१,५२,६६,०००=०० (एक करोड़ बावन लाख छियासठ हजार) रुपये मात्र का उपावटन।

प्रसंग:-

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार- पटना के पत्र सं०-०१/सा०सु० बजट-ई०गा०रा०वृद्धा०पें०-११/२०१३-
स०क०-३२ पटना, दिनांक-२८/०६/२०१३

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं०-२५६१ दिनांक-१७.०४.९८ एवं ७७२९
दिनांक-२६.०७.२०१२ में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं०-९९९ दिनांक-१४.०५.२०१३ के आलोक में
पेंशनधारियों को द्वितीय किस्त नगद पेंशन भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के स्तम्भ-५ के अनुसार कुल रु० १,५२,६६,०००=००
(एक करोड़ बावन लाख छियासठ हजार) रुपये मात्र का उपावटित किया जाता है।

- २- उपावटित राशि माँग सं०-५१, मुख्य शीर्ष-२२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-०३-राष्ट्रीय सामाजिक
सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-०१०१-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय
वृद्धावस्था पेंशन योजना, विषय शीर्ष-३१ ०६- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड
संख्या-P-२२३५०३७८९०१०१ तथा स्कीम कोड-WEL-५४९८ से विकलनीय होगा।
- ३- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावटित राशि कोषागार से निकासी कर शिविर के माध्यम से
पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- ४- जिस मद में राशि उपावटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।
- ५- उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध
करायी जाय।
- ६- उपावटित राशि का विवरणी संलग्न है।
उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वाससाजन

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

वित्तीय वर्ष-2013-14 में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (विशेष घटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार द्वितीय उपावंटन तालिका:-

क0	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	1265	759000	1059000	1818000
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	2567	1540200	2540200	4080400
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हस्विया	637	382200	382200	764400
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	365	219000	283800	502800
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	657	394200	394200	788400
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	1399	839400	839400	1678800
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	964	578400	1578400	2156800
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिथुनगंज	1476	1080800	2333000	3413800
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	943	754400	754400	1508800
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	750	450000	700000	1150000
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	2271	1816800	3232400	5049200
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	716	429600	529600	959200
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	511	306600	406600	713200
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	145	87000	87000	174000
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	173	96400	145800	242200
	कुल योग :-	14839	9734000	15266000	25000000

मो0 (एक करोड़ बावन लाख छियासठ हजार) रुपये मात्र।


जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।